उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 198 –का०वि०नी० एवं विनियम–29/पाकालि/2019–10–काविनी एवं वे०प्र०/17 दिनांक 08अप्रैल, 2019

कार्यालय ज्ञाप

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा–179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल–47, 48 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए निदेशक मण्डल के कार्योत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में कारपोरेशन का0ज्ञा0सं0 141–का०वि०नी० एवं विनियम–29/पाकालि/ 2019–10–काविनी एवं वे०प्र०/17 दिनांक 08.03.2019 को अवक्रमित करते हुए एतद्द्वारा निम्नवत् आदेशित किया जाता है :–

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली, 1995 के विनियम–9 का परिशिष्ट–1(क) की श्रेणी–प–4 (वेतनमान रू0 1200–1800) के बिन्दु–(ख) के अन्तर्गत अन्य संवर्ग के क्रमांक–30 *(पदनाम–तकनीशियन ग्रेड–।। (लाईन) वर्तमान में तकनीशियन (लाईन))* में वर्णित तालिका को कारपोरेशन आदेश सं0 141–का०वि०नी० एवं विनियम–29/पाकालि/2019–10–काविनी एवं वे०प्र०/17 दिनांक 08 मार्च, 2019 के माध्यम् से निर्धारित की गयी तालिका–01 की व्यवस्था को तालिका–02 में उल्लिखित व्यवस्था से निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

तालिका–01

क्रम सं0	वर्तमान पदनाम	सामूहिक अर्हता			भर्ती का स्त्रोत
		पदनाम	सीधी भर्ती के लिये	पदोन्नति द्वारा	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
30.	लाईनमैन, टावरमैन	तकनीशियन ग्रेड–2 (लाईन)	**(1)** मान्यता प्राप्त संस्थान से **हाईस्कूल परीक्षा विज्ञान संकाय में उत्तीर्ण** होने के साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नांकित ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में द्विवर्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यवसायिक प्रमाण–पत्र (NCVT/SCVT) का होना आवश्यक है :– (क) वायरमैन (ख) इलेक्ट्रीशियन (ग) लाईनमैन *(घ) इलेक्ट्रिकल* **(2)** कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान **(3)** Basic skill test – तकनीशियन (लाईन) के पद के आवश्यक कार्य *(यथा–पोल, सीढ़ी पर चढ़कर लाईन एवं वितरण परिवर्तकों के अनुरक्षण का कार्य इत्यादि) से सम्बन्धित टेस्ट जिसे उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।*	देवनागरी लिपि पढ़ना–लिखना जानता हो और श्रेणी प–3 में न्यूनतम 5 वर्ष या श्रेणी प–2 में 10 वर्ष नयूनतम नियमित सेवा तथा विद्युत लाइनों पर कार्य का अनुभव।	10 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा एवं 90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति तकनीशियन (लाईन) (प्रशिक्षु) के पद पर की जायेगी। नियुक्ति के पश्चात् 01 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जायेगा एवं प्रशिक्षणोंपरान्त मूल्यांकन करने के बाद सफल अभ्यर्थियों को तकनीशियन (लाईन) के पद पर नियमित किया जायेगा। नियमित किये जाने की दशा में प्रशिक्षण की अवधि को भी सेवाकाल में सम्मिलित किया जायेगा।)

(क्रमशः....... 2)

G:\10-Viniyam-17\Letter.doc

तालिका–02

क्रम सं0	वर्तमान पदनाम	सामूहिक अर्हता			भर्ती का स्त्रोत
		पदनाम	सीधी भर्ती के लिये	पदोन्नति द्वारा	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
30.	लाईनमैन, टावरमैन	तकनीशियन (लाईन)	**(1)** मान्यता प्राप्त संस्थान से **हाईस्कूल परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषय में उत्तीर्ण** होने के साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नांकित ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में द्विवर्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यवसायिक प्रमाण–पत्र (NCVT/SCVT) का होना आवश्यक है :– **(क)** वायरमैन **(ख)** इलेक्ट्रीशियन **(ग)** लाईनमैन ***(घ) इलेक्ट्रिकल*** **(2)** कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान **(3)** Basic skill test – तकनीशियन (लाईन) के पद के आवश्यक कार्य *(यथा–पोल, सीढ़ी पर चढ़कर लाईन एवं वितरण परिवर्तकों के अनुरक्षण का कार्य इत्यादि) से सम्बन्धित टेस्ट जिसे उत्तीण करना अनिवार्य है।*	देवनागरी लिपि पढ़ना–लिखना जानता हो और श्रेणी प–3 में न्यूनतम 5 वर्ष या श्रेणी प–2 में 10 वर्ष न्यूनतम नियमित सेवा तथा विद्युत लाइनों पर कार्य का अनुभव।	10 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा एवं 90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति तकनीशियन (लाईन) (प्रशिक्षु) के पद पर की जायेगी। नियुक्ति के पश्चात् 01 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जायेगा एवं प्रशिक्षणोंपरान्त मूल्यांकन करने के बाद सफल अभ्यर्थियों को तकनीशियन (लाईन) के पद पर नियमित किया जायेगा। नियमित किये जाने की दशा में प्रशिक्षण की अवधि को भी सेवाकाल में सम्मिलित किया जायेगा।)

2. सीधी भर्ती के माध्यम् से तकनीशियन (लाइन) के पद पर नियुक्ति हेतु विद्युत सेवा आयोग के माध्यम् से वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा सम्पन्न करायी जाएगी। परीक्षा से सम्बन्धित विषय एवं प्रकिया का निर्धारण अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जायेगा।

3. विज्ञप्ति सं0 263–विनियम–23/रा0वि0प0–95–4–विनियम/86 दिनांक 09.08.1995 के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली, 1995 के विनियम–9 का परिशिष्ट–1(क) की श्रेणी–प–4 *(वेतनमान रू0 1200–1800)* के बिन्दु–(ख) के अन्तर्गत अन्य संवर्ग के क्रमांक–30 में *(टी0जी0–।। (लाईन) वर्तमान में तकनीशियन (लाईन) के पद पर सीधी भर्ती हेतु अहर्ता एवं भर्ती का स्त्रोत)* उल्लिखित प्राविधान को उक्त सीमा तक प्रतिस्थापित माना जायेगा एवं अन्य समस्त प्राविधान *(संशोधनों सहित)* पूर्व की भाँति यथावत् लागू रहेंगे।

अध्यक्ष, उ0प्र0 पा0का0लि0

<u>सं0 198 –कार्विनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/19 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3- अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
4- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
5- प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।

(क्रमशः....... 3)

G:\10-Viniyam-17\Letter.doc

6- समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
9- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं स्तर–2), उ0प्र0 पा0का0लि0 / उ0प्र0 पा0ट्रां0कारपोरेशन लि0।
10- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 / उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
11- महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 / उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
13- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 / उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
14- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी / क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 / उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
15- अनु सचिव (सचि0प्रशा0–लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
16- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
17- सचिव, उ0प्र0 राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
18- समस्त अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 मुख्यालय, शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
19- कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल के समक्ष अगली बैठक में प्रस्तुत करने हेतु।
20- श्री अजय अग्रवाल, सेवानिवृत्त सचिव (वित्त), कक्ष सं0 517, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0पा0का0लि0 के कार्मिकों हेतु बनायी जा रही नवीन विनियमावलियों में सम्मिलित करने के सन्दर्भ में।
21- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0 407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

(राकेश भट्ट)
अनु सचिव (का0वि0नी0 एवं विनियम)

G:\10-Viniyam-17\Letter.doc